

पत्रांक- 2219 / न0प0,

दिनांक- 18-9-18

-: आवश्यक सूचना :-

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि :-

1. अपने-अपने होल्डिंग को वर्तमान एंव बकाया टैक्स भुगतान करने का अनुरोध किया जाता है।
2. प्लास्टिक कैंरी बैग का विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय या परिवहन अथवा सामग्री को बेचना पूणतः प्रतिबंधित है, कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक कैंरी बैग विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय या परिवहन अथवा प्लास्टिक कैंरी बैग में सामग्री को बेचते पाया जाता है तो नियमानुसार दण्ड सहित कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
3. सभी दुकानदारो/व्यवसायियों को सूचित किया जाता है कि वे अपना-अपना व्यवसाय का ड्रेड लाईसेन्स नगर परिषद् से शीघ्र प्राप्त कर लें। अन्यथा बिना ड्रेड लाईसेन्स के पाने पर प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।
4. सभी नगर परिषद् दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि वे अपना पूर्व का बकाया एंव वर्ष 2016-17 से अबतक से 30 माह का <sup>आडी</sup> पूराणा दर के आधार पर "अंश भुगतान" दो दिनों के अंदर करना सुनिचत करेंगे।
5. इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

*Handwritten signature*  
18/9/18  
कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद् साहिबगंज।

ज्ञापांक 2219 / साहेबगंज, दिनांक - 18-9-18

प्रतिलिपि- प्रचारक, विजय चौरसिया, साहेबगंज को आदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना का प्रचार-प्रसार अपने ध्वनि विस्तारक यंत्र से लगतार 3 दिनों तक प्रचार-प्रसार करना सुनिचत करेंगे।

प्रतिलिपि- निदेशक, न0प्र0नि0 झारखण्ड सरकार राँची/ उपायुक्त, साहेबगंज/ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी नोडल पदाधिकारी/AE/ SBM प्रभारी/ PMAY शाखा/ सफाई प्रभारी/NULM/ सभी तहसीलदार/TD/SPS/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभी वार्ड पार्षद को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संपादक, सभी दैनिक समाचार पत्रों को सूचनार्थ प्रेषित।

*Handwritten signature*  
18/9/18  
कार्यपालक पदाधिकारी,  
साहिबगंज नगर परिषद्।